भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 940

(जिसका उत्तर मंगलवार, 5 मई, 2015 को दिया गया)

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन मानकों को सुगम बनाया जाना

940. प्रो. एम. वी. राजीव गौडा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियमों में अनुपालन मानकों को सुगम बनाए जाने के पीछे संभाव्य औचित्य क्या है;

(ख) क्या कंपनी की बैठकें बुलाने के दायित्व के स्थान पर बोर्ड के संकल्प पारित करने की अनुमति देने संबंधी मंत्रालय के निर्णय से कंपनियों में कदाचारों को कम करने में मदद मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (ग) : कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न उपबंधों एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के लागू होने के पश्चात् उद्योग मंडलों व हितधारकों से प्राप्त विभिन्न मुद्दों की हितधारकों के साथ परामर्श करके समीक्षा की गई। प्राप्त मुद्दों के समाधान के उद्देश्य से कुछ नियमों में संशोधन किया गया है। अनुपालन मानदंडों को, जहां कहीं भी बदला गया है नियामक आवश्यकताओं और व्यावसायिक कार्यों के संचालन को सरल बनाने (इज ऑफ डुइंग बिजनेज) के बीच संतुलन स्थापित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड की कंपनी के सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी से समझौता किए बगैर बदला गया है। कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 8 को संशोधित करने का उद्देश्य उक्त नियम के उपनियम (3), (5), (6), (7), (8) एवं (9) में यथाविहित अनुसार बोर्ड को बगैर बैठक किए ही मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से एक स्तर नीचे के कार्मिकों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी करने के लिए, निदेशकों के हित और शेयरधारिता को सार्वजनिक करने के लिए संकल्प पारित करने के लिए अनुमति प्रदान करना है।

*****